25

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3774–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–08–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 252/अपील/2010–11

.....

1–धापूबाई पति बापूलाल पाटीदार
2–ईश्वरलाल पिता नानुराम ब्राम्हण,
निवासीगण ग्राम बर्डियाजागीर तहसील मनासा,
जिला नीमच म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

फतेहशंकर पिता ईश्वरलाल ब्राम्हण
निवासी ग्राम बर्डियाजागीर तहसील मनासा,
हाल निवासी ग्राम सावन तहसील मनासा,
जिला नीमच म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री प्रताप मेहता, अभिभाषक, आवेदकगण
एकपक्षीय – अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/7/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–08–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक कमांक–1 ने एक आवेदन ग्राम पटवारी को इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विकय पत्र के आधार पर ग्राम बर्डियाजागीर के सर्वे नम्बर 273, 282, 283 रकबा कमशः 0.146, 0.320, 0.494 लगान कमशः 0. 78, 9.42, 2.236 कुल किता 3 कल रकबा 0.960 कुल लगान 12.56 हेक्टर भूमि पर केता का

नाम दर्ज करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत होने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय तहसीलदार मनासा के समक्ष प्रस्तुत गई । तहसीलदार मनासा के द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुये प्रकरण कमांक 59/अ–6/2010–11 दर्ज कर विज्ञप्ति का प्रकाशन किया तथा प्राप्त आपत्ति पर सुनवाई की जाकर प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 30–8–2011 से विकय पत्र अनुसार केता के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया । तहसीलदार मनासा के उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मनासा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–2–2012 से विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण में पुनः सुनवाई किये जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–2–2012 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 14–8–2012 से तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त किया तथा अनुविभागीय अधिकारी का तहसील आदेश निरस्ती की कार्यवाही स्थिर रखते हुये रिमाण्ड आदेश निरस्त कर तहसीलदार को निर्देशित किया कि सिविल न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध में विचाराधीन प्रकरण के निराकरण उपरांत ही नामान्तरण संबंधी कार्यवाही करें । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–8–12 से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह बताया कि अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने में वैधानिक त्रुटि की है क्योंकि संहिता में हुये संशोधन अनुसार अपीलीय अधिकारी उसके अधीनस्थ राजस्व अधिकारी द्वारा मामले को निपटाने के लिये रिमाण्ड नहीं करेगा और यह प्रावधान आज्ञात्मक प्रावधान है । तर्क में यह भी बताया कि आवेदक कमांक कमांक 1 ने आवेदक कमांक 2 से रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा वादग्रस्त भूमि रुपये 6,72,000/– में दिनांक 7–4–2011 को कय की है । आवेदकगण व अनावेदक के मध्य प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व कब्जे का जो विवाद माननीय व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है उसमें माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा आधिपत्य के संबंध में यथास्थिति का आदेश भी दिया है । नामान्तरण रोकने का कोई आदेश उनके द्वारा नहीं दिया गया है । नामान्तरण की कार्यवाही राजस्व न्यायालय का कार्य है यदि सिविल न्यायालय में स्वत्व के संबंध में व्यवहारवाद

विचाराधीन है इसमें नामान्तरण की कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती । प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 मनासा जिला नीमच के न्यायालय में अनावेदक द्वारा एक व्यवहारवाद आवेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जो प्रकरण कमांक 10ए/2011 पर अंकित हुआ । जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया कि फतेहशंकर धापूबाई द्वारा कय की गई भूमि सर्वे नम्बर 273, 282 व 283 स्थित मोजा बर्डियाजागिर पटवारी हल्का नम्बर 6 तहसील मनासा जिला नीमच में धापूबाई के कब्जे व उपयोग में न तो स्वयं दखल देगा न ही कोई व्यवधान स्वयं अपने ऐजेन्ट के माध्यम से करायेगा । इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा अनावेदक के विरूद्ध जारी की गई । व्यवहार न्यायालय के इस आदेश को नहीं मानने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । स्वत्व का प्रश्न व्यवहार न्यायालय द्वारा निश्चित किया जाता है । नामान्तरण की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही होती है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा आवेदक कमांक 1 का नामान्तरण रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर किये जाने का आदेश पारित किया था उन्हें स्वत्व के प्रश्न का निराकरण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । तर्क में यह भी बताया कि राजस्व मण्डल में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 109–110 नामान्तरण कार्यवाही सिविल वाद लंबित सिविल न्यायालय द्वारा जब तक ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता जो राजस्व न्यायालयों पर आबद्ध कर हो नामान्तरण की कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती। इन न्याय दृष्टांतों पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह अवैधानिक है । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

4/ प्रकरण में अनावेदकपक्ष सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । प्रकरण में अनावेदक ने विचारण न्यायालय में तथा वरिष्ठ न्यायालयों में भी उभयपक्ष के मध्य उक्त भूमि के विवाद पर सिविल न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने तथा उस प्रकरण में सिविल न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश देने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसका आवेदक ने खण्डन

भी नहीं किया है । स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय के यथास्थिति के आदेश को देखते हुये राज़स्व न्यायालय को उसके समक्ष लंबित नामान्तरण की कार्यवाही को लंबित रखना चाहिये । लेकिन इस प्रकरण में तहसील न्यायालय ने ऐसा नहीं किया । अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त ने इस त्रुटि को सुधार करते हुये विधिक आदेश पारित किये हैं । जहॉ तक आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रश्न है उन सभी न्यायिक दृष्टांतों में सिविल न्यायालय के यथास्थिति आदेश की परिस्थिति का उल्लेख नहीं है ऐसी स्थिति में प्रकरण पर वह न्यायिक दृष्टांत लागू नहीं होगे ।

6/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर